

61

SC ST
4-02-01

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

49

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2006

क्रमांक एफ 3-34 / 2004 / 10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदोन्नत करते हुये उनके नाम के समुख दर्शाय गये पद पर पदस्थ करता है :-

अ क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	श्री बी.बी.सिंह	प.अ.वीरपुर (सा.) सीहोर (सा.) वन मंडल।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
2	श्री एस.के.कटारे	प.अ.उज्जैन (सा.) उज्जैन (सा.) व.मं।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
3	श्री आनंद गोस्वामी	प.अ.कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व, मंडला।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
4	श्री दिलीप कुमार पंचमाई	प.अ. नारंगी क्षेत्र जबलपुर जबलपुर (सा.) व.मं।	सहायक वन संरक्षक, एस.एफ.आर.आई. जबलपुर (प्रतिनियुक्ति पर)
		27-7-56 (5.0)	
5	श्री नवल सिंह धुर्व	प.अ. टिकरिया (सा.) पश्चिम मंडला (सा.) व.मं।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
6	श्री श्याम मुदगल	प.अ. ३० राजगढ व.मं राजगढ (सा०)।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
7	श्री क.के.गोखल	वनक्षेत्रपाल कार्य आयोजना खंडवा।	स.व.स. कार्यालय मु.व.सं भोपाल।
		5-1-57 (6.0)	

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होंगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

4. पदोन्नत अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

Eliot

(डी. डी. अग्रवाल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

क्रमांक एफ ३-३४ / २००४ / १०-१

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि:-

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी वन / राज्य मंत्रीजी वन।
 - 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरखक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल।
 - 4- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
 - 5- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा राज.) एवं (प्रशा अराज.) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 - 6- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 - 7- संचालक एस.एफ.आर.आई. जबलपूर।
 - 8- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त।
 - 9- संबंधित वन मंडलाधिकारी।
 - 10- संबंधित अधिकारी।
 - 11- संयुक्त संचालक, जन संपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Dee

(डी. डी. अग्रवाल)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

वन विभाग

—କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର
—୨୦ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମାତ୍ର
—ବ୍ୟାଙ୍ଗନ ଜାରୀ ମୁଦ୍ରା
—୫୦୦୬

卷之三

वन संस्थान, बबलपुर, ३५०८८, उत्तराखण्ड, वन
संस्थान (कार्यालयांश), बबलपुर, उत्तराखण्ड ई. ८०-
१२° ३०' E, बबलपुर की ओर ४५१८८८२७१६-
कार्यालय हेठले जाहिर

अपर प्रधान मुख्य स. (प्रश्ना, अराज.)

भोपाल

ପ୍ରକାଶ

డिप्पोर्टमेंट ऑफ एन्ड वायरल कॉम्प्लेक्स

(५०) घोपाल, विनोद / अगस्त, २००६

13

54

51

13

13

51

प्राणिय विद्या ज्ञान से हिंदू धर्मप्रदेश लोक रोपा (अनुसूचित जातियों, अनियूत्य वा प्राणिय विद्या ज्ञान से हिंदू धर्मप्रदेश लोक रोपा (अनुसूचित जातियों, अनियूत्य वा

गुजरात के राज्यपाल के नाम से
तथा ओवेशानुसार,

(अनिल रियरी)

अक्षर रात्रिः

મધ્યપ્રદેશ શાસન, વિ. 1949

भाषाल, दिनांक ३० मार्च, २००६

0530-7304-34/2004/10-1

卷之三

ଅନ୍ତରେ

ବ୍ୟାକ ଶାଖାକୁ ଦେଖିଲା

ପାତାରେ

ମୁହଁରା ଗାନ୍ଧାରୀ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ

କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ

କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ

କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ
କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠ

17.8.06

ଶ୍ରୀପାତ୍ର ପାତାର କୁ. ନ. ରେ. (ଫଳ)
କୁ. ନ. ମୁହଁରା

मंत्रालय

संलग्न मंत्रालय भागीदार

//आवेदन//

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2006

क्रमांक एफ. 3-34/2004/10-1 : राज्य शासन एतावृद्धारा श्री आर. के. भट्ट, वन क्षेत्रपाल, वन मंडल श्योपुर को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वैतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में बदलावन्ति करते हुए अनुदेशक, वन विद्यालय, शिवपुरी के पद पर पदस्थि किया जाता है।

2. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश रिविल सेवा (सेवा की रामान्य शर्त) नियम, 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

3. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा(पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

4. यह पदस्थापना आदेश दिनांक 03/08/2005 से प्रावधारीन माना जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(अनिल तिवारी)
अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठां ० क्रमांक एफ. 3-34/2004/10-1

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वन।

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल।

3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

4. अपर प्रधान मुख्य वन रांगक (प्रशासन राज) एवं (प्रशासन अराज) सतपुड़ा भवन भोपाल

5. राज्यव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्डीर म.प्र।

6. वन रांगक, यृत्त ग्वालियर/शिवपुरी

7. वन गंडलाशिगमी श्योपुरकला/शिवपुरी।

8. श्री आर. के. भट्ट वन धैत्रपाल, वन मंडल श्योपुर म.प्र।

9. संयुक्त संचालक, जन संपर्क, प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।


मी और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यनाली हेतु अधेष्ठित।

अविर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

1955
3/8/06

वा. कौशल
A.P.C.C.F. (Admn. Gax.)
भोपाल



भोपाल, दिनांक ७ अगस्त, 2006

क्रमांक एफ ३-४३/२००४/१०-१ राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन शेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आवेदन तक दिनांक ०५/०८/२००३ से राज्य वन रोका के कानिष्ठ श्रेणी वेतनमान लप्ता ४,०००-२७५-१३,५०० में पहलान्तर करते हुए उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदस्थ करता है—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
१	श्री गजेश कुमार शेट्टी	पारदेश अधिकारी नियमित (एस.)पूर्व गंडला(सा.) वन महल मल्ला	उप प्रबंधक, लघुवनापञ्च संघ (प्रतिनियुक्ति पर)
२	श्री कमल सिंह मल्लांग	पारदेश अधिकारी, कोतमा (सा.)वन मल्ल अनूपपुर(सा.)	उप प्रबंधक, लघुवनापञ्च संघ (प्रतिनियुक्ति पर)

श्री गजेश कुमार शेट्टी की नवीनता श्री सिंहराम गेहता, सहायक वन सरकार के ऊपर तथा श्री महेन्द्र सिंह उड़ाने के नीचे निर्धारित (आगामी पदक्रम सूची में) की जावेगी।

३/ श्री कमल सिंह मल्लांग की परीयता श्री सिंहराम गेहता के नीचे तथा श्री मुन्नालाल कुलेश, सेवायक वन सरकार के ऊपर निर्धारित (आगामी पदक्रम सूची में) की जावेगी।

४/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अंतर्गत वा वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी।

५/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसंधित जातियों, अनिसूचित जनजातियों और शिष्ठ कर्मी के लिए आनंदण) अधिनियम, 1964 (क्रमांक २१ सन् १९८४) तथा मध्यप्रदेश लोक रोक (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपर्योगी और उन्हें अधिनियम तथा नियमों के उपर्योगों के प्रकार में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदर्शानुसार,

(अगिल तिवारी)

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, यन विभाग

भोपाल, दिनांक ७ अगस्त, 2006

पृष्ठा ३ क्रमांक एफ ३-४३/२००४/१०-१

प्रतिलिपि—

राज्यका माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी वन।

1



१. उदायन वन संरक्षक मन्त्रालय भोपाल।
 २. प्रधान मुख्य वन विभाग (प्रशासन अधीक्षी) वन भोपाल।
 ३. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज्य) वन भोपाल।
 ४. सहायक वन विभाग राज्य संघ भोपाल।
 ५. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज्य) एवं (प्रशासन अराज) सतपुड़ा भवन भोपाल।
 ६. सचिव, प्र. लोक सेवा आयोग, इन्डौर म.प्र।
 ७. संचालित वन संरक्षक वन वक्ता
 ८. संचालित वन मैठलाधिकारी
 ९. संचालित अधिकारी—हारा—अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन राज्य) एवं
 १०. संयुक्त वन संरक्षक, जन संपर्क, प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
- की ओर राज्यनार्थ एवं आवश्यक कागजाली हेतु आवश्यित।

अपर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

कार्यलय

वन मुख्य वन शे २९६

रु ५० ५०० रु १००/ ५२२०

दिनांक 24/8/06

संति लिखित:- वन शे २९६ अबनपुर, शहडोल
एवं चक्रध लंगालनु शे ७४ छत्तीस वर्षा गोदावरी
वं वन भोपाल की ओर ४५११७१ एवं ३११७३७
कार्यवाही हेतु ब्रिटिश है

अपर प्रधान मुख्य वन विभाग (प्रशासन अराज.)

भोपाल

५८८
५८८

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संशोधन

भोपाल, दिनांक ३१ अगस्त, 2006

क्रमांक एफ-३-४३/२००४/१०-१: राज्य शासन द्वारा वन क्षेत्रपालों को राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नत करते हुए पदस्थापना संबंधी विभागीय समसंब्यक आदेश दिनांक ७ अगस्त, 2006 के अ. क. १ पर अंकित श्री ग्रजेश कुमार बरकड़े के नाम के सम्मुख वर्तमान पदस्थापना के कालम में परिक्षेत्र अधिकारी विछिया (सा.) पूर्व मंडला (सा.) वन मंडल मंडला के स्थान पर परिक्षेत्राधिकारी कोतमा (सा.) वन मंडल अनूपपुर तथा अ.क. २ पर अंकित श्री कमल सिंह मसराम के नाम के सम्मुख वर्तमान पदस्थापना के कालम में परिक्षेत्राधिकारी कोतमा (सा.) वन मंडल अनूपपुर (सा.) के स्थान पर परिक्षेत्राधिकारी विछिया (सा.) पूर्व मंडला (सा.) वन मंडल मंडला पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

२००४/७०-६
(आर. पी. त्रिपाठी)

अवर सचिव

२००४/७० मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्र.एफ-३-४३/२००४/१०-१ भोपाल, दिनांक अगस्त, 2006

प्रतिलिपि:-

- १— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन / राज्यमंत्री, वन ।
 - २— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
 - ३— प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी म.प्र., भोपाल ।
 - ४— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासनीय, एवं प्रशासनात्मक, भोपाल ।
 - ५— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
 - ६— सचिव, म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर ।
 - ७— संबंधित वन संरक्षक ।
 - ८— संबंधित वन मंडलाधिकारी ।
 - ९— संबंधित अधिकारी ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

२००४/७०-६
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

३०

वन मंडल मुख्य वन संरक्षक

४४७८
२००४/७०-६/४४७८

नामांकन दिनांक ४/९/०५
वन संरक्षक अधिकारी वन मंडल मुख्य वन संरक्षक

भाषण

(1) SC ST
6-11

(42)

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 06 जुलाई, 2006

क्रमांक एफ 3-34/2004/10-1: राज्य शासन एतद द्वारा निम्नांकित वन क्षेत्रपालों को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ अंगी वेतनमान रूपये 8,000-275-13,500 में पदान्वत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पद पर पदरथ करता है :-

अ. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना
1	श्री आर. वी. सिंह	परिक्षेत्र अधिकारी बर्धाट उप वनमंडल अधिकारी, द. सिवनी सामान्य वन विभिया (उत्पाद) मंडल।	(उत्पाद) व०म०।
2	श्री एस. के. सय	वन क्षेत्रपाल, दमोह, (सा०) व०म०।	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, बैतूल।
3	श्री वी. पी. एस. परिहार	परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व संलग्न अधिकारी, करजिया डिंडोरी (सा०) व०म०।	वृत्त कार्यालय, छिदवाड़ा।
4	श्री ए. के. तिवारी	वन क्षेत्रपाल, अजयगढ़, उत्तर पन्ना (सा०) व०म०।	सहायक वन संरक्षक, पंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी।
5	श्री आर. वी. सिंह	वनक्षेत्रपाल, पर्यावरण, इंदौर वनमंडल।	संलग्न अधिकारी, वृत्त कार्यालय, शिवपुरी।
6	श्री एस. एस. चतुर्वेदी	प०आ० राजेन्द्रग्राम, अनूपपुर (सा०) व०म०।	सहायक वन संरक्षक, कार्यांन प्र०म०व०स० म०प्र० भोपाल।
7	श्री रतन सिंह विरोलिया	प०आ० नर्मदा घाटी दिकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)।	प्रमारी एन्टी पोर्चिंग स्वावाह इटारसी।
8	श्री जॉन तिकी	वन क्षेत्रपाल कार्य- प०.आयोजना, सागर।	सहायक वन संरक्षक, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (प्रतिनियुक्ति पर)।

2 उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सदा (सदा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये हासी।

3 प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश जहाँ सदा अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ वर्गों के लिये आरक्षण (अधिनियम 1964 (क्रमांक 21 सन् 1984) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपर्युक्त आर क्रमा. पृष्ठ 2

उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्यांतों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा अद्वैशानुसार

(डी. डी. अग्रवाल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक एफ ३-३४ / २००४ / १०-१

भोपाल, दिनांक 06 जूलाई, 2006

पत्रिलिपि -

- 1- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी वन।
 - 2 अपर मुख्य सचिव, नर्मदा धाटी विकास, विभाग / उपाध्यक्ष, नर्मदा धाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल।
 - 3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 4- प्रधान मुख्य वन सरखक (वन्य प्राणी) न.प्र., भोपाल।
 - 5- महालखाकार, मध्यप्रदेश न्दलियर।
 - 6- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा राज) एवं (प्रशा अराज) सतपुडा भवन, भोपाल।
 - 7- सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर।
 - 8- संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्त
 - 9- वन मंडलाधिकारी
 - 10- संबंधित अधिकारी - ह्वास - अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा राज) भोपाल।
 - 11- संयुक्त सचालक, जन सेपर्क प्रकोष्ठ मत्रालय, भोपाल की आर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु अयोग्यिता।

(डी. डी. अग्रवाल)
उप सचिव

ପ୍ରାଚୀନତା

ଆମ ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
କରିବାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବାକୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

‘वालिनीटि’ वर्त संस्कृत, विवरी महामहिला दात्रेय

કાંદોર, અદ્ભુત

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

(1) 34

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ८ मई, 2006

क्रमांक एफ ३-४२/२००३/१०-१: राज्य शासन स्तर द्वारा श्री कर्णवीर तिंह, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक दिनांक ४-५-२००३ से राज्य वन तेवा के कन्ठिठ श्रेणी वेतनमान रूपये ८०००-२७५-१३५०० में पदोन्नत करते हुए उन्हें उप प्रबंधक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया जाता है।

२/ श्री कर्णवीर तिंह को "काम नहीं वेतन नहीं" स्थान्त के आधार पर सरियर्त की पात्रता नहीं होगी, परन्तु उनको वरिष्ठता श्री जे.के.शर्मा, सहायक वन तंरकाक के नाम के नीचे निर्धारित आगामी पदक्रम सूची में ही जावेगी।

३/ उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश विविध तेवा तेवा की सामान्य शर्तें नियम १९६। के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

४/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक तेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षणीय अधिनियम १९९४ क्रमांक २। सन् १९८४ तथा मध्यप्रदेश लोक तेवा पदोन्नति नियम २००२ के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

श्री अनिल तिवारी

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्र. एफ ३-४२/२००३/१०-।

भोपाल, दिनांक ८ मई, 2006

प्रतिलिपि:-

१- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।

२- प्रधान मुख्य वन तंरकाक, मध्यप्रदेश, भोपाल।

112//

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशा. राज. एवं प्रशा. अराज. ४
- 4- संबंधित वन संरक्षक द्वारा अ. प्र. मु. व. सं. ५ प्रशाश्रराज. ६ भोपाल ।
- 5- प्रबंध संचालक, ग. प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
- 6- संबंधित वन मण्डलाधिकारी- द्वारा- अ. प्र. मु. व. सं. ५ प्रशाश्रराज. ६ भोपाल
- 7- श्री कर्णवीर सिंह, वन क्षेत्रपाल द्वारा- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रशा. अराज. ६ भोपाल की
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

५ अमिला तिवारी ५
अपर सचिव

शासनस्थिति
विवरण
विवरण
विवरण

====

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, म0प्र0, भोपाल

पृ0कमांक/प्रशा0राज0/रा0व0से0/ १८५६

भोपाल, दिनांक १६/०६

प्रतिलिपि:-

- 1/ प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल ।
2/ वन संरक्षक, शहडोल वृत्त, शहडोल, म0प्र0 ।
3/ वन मण्डलाधिकारी, उत्तर शहडोल, (सामान्य) वन मण्डल, म0प्र0
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

कृपया शासनादेश दिनांक ८—५—०६ की एक प्रति संबंधित अधिकारी को सौंपकर स्थानीय
व्यवस्था से तत्काल भार मुक्त कर इस कार्यालय को अवगत करावें ।

(नरेन्द्र कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशा0राज0)
म0प्र0, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल



(1)

(53)

// आदेश //

भोपाल, दिनांक १५ मार्च, 2006

क्रमांक एफ ३-३४/२००४/१०-१ राज्य शासन एतद द्वारा श्री आर के सर्वसेना वन क्षेत्रपाल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पर्वमढ़ी को स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये ८०००-२७५-१३,२०० में पदोन्नत करते हुए उप वन मंडलाधिकारी, वरेला (उत्पादन) मंडला (उत्पादन) वन मंडल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

२. उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम १९६१ के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

३. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१ सन् १९८४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के उपर्यों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपर्यों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

यह पदोन्नति आदेश दिनांक ०३/०८/२००६ से प्रभावशील माना जाये।



क्रमांक एफ ३-३४/२००४/१०-१

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुनीता त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

भोपाल, दिनांक १५ मार्च, २००६

प्रतिलिपि—

- १— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।
- २— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- ३— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.) एवं (प्रशा. अराज.) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- ४— संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्ति,
- ५— संबंधित वन मंडलाधिकारी
- ६— श्री आर के सर्वसेना, वन क्षेत्रपाल, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पर्वमढ़ी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सामग्री क्रमांक

प्रधान मुख्य वन (प्रशा. अराज.)

१०४५ सीमांचल

२१/३/०६

(सुनीता त्रिपाठी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक ३ फरवरी, 2006

क्रमांक एफ ३-३४ / २००४ / १०-१ राज्य शासन एतद द्वारा श्री की के
रिना, वन क्षेत्रपाल को स्थानापन रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण
करने के दिनांक से राज्य वन सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये ८०००—
८०५—१३,२०० में पदोन्नत करते हुए सहायक वन संरक्षक, रांगन अधिकारी वन
संरक्षक, कार्यालय जबलपुर के पद पर पदस्थि किया जाता है।

उपर्युक्त पदोन्नति मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम १९६१
के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिये होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, १९९४ (क्रमांक २१
सन् १९८४) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम २००२ के उपबंधों और
उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी
किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है।

यह पदोन्नति आदेश दिनांक १/१/२००६ से प्रभावशील माना जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

G. K. D. २००६
(मीनाक्षी मालवीया)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

क्रमांक एफ ३-३४ / २००४ / १०-१

भोपाल, दिनांक ३ फरवरी, २००६

प्रतिलिपि:-

१- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, वन।

- 2— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भागाल।
- 3— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.) एवं (प्रशा. अराज.) सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4— संबंधित वन संरक्षक, वन वृत्ति
- 5— वन मंडलाधिकारी
- 6— श्री के. रैना, द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशा. राज.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेपित।

*मुख्य
वन
संरक्षक
भागाल
मध्यप्रदेश
शासन
वन विभाग*

(मीनाक्षी मालवीया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

मध्यपुरदेश शासन
घन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ मध्यन, भोपाल
:: आदेश ::

2-

III

SC
1

(32)

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2006
कृगांक सफ. 3-34/2004/10-1: राज्य शासन सत्र ह द्वारा निम्नांकित वन्देश्वरपालों का स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश तक कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से हुए उनके नाम के सम्बन्ध दर्शायि गेय पद पर पदस्थ करता ह :-
कृ. अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1- श्री जे. सन. अहिरचार | डिपो आफ्सर, बैतूल
उत्पादन वर्ष 0 में, बैतूल | उप प्रबंधक, लघु वनोपज तंथ्र प्रतिनियुक्ति पर |
| 2- श्री आर. के. गिरा | कार्य आयोजना
तिवनी | उप प्रबंधक, राज्य लघु वनोपज तंथ्र प्रतिनियुक्ति पर |
| 3- श्री छही. के. शर्मा | नव्यायामियोगा
प्रातिनियुक्ति पर | संचायक वन संरक्षक, गुनुभूम्यान एवं वित्तार केन्द्र, एण्डवा |
| 2/- | उपर्युक्त पदोन्नति मध्यपुरदेश तिविन लेवा लेवा की कामान्य शर्तें नियम 1961 के अंतर्गत दो वर्ष की परीक्षण अवधि के लिए होगी। | एवं वित्तार केन्द्र, एण्डवा |
| 3/- | प्रमाणित किया जाता है कि मध्यपुरदेश जाक लेवा अनुसूचित जातियों, गुनुभूम्यित जनजातियों और मिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1964 क्रमांक 21 सन 1984 तथा मध्यपुरदेश जाक लेवा पदोन्नति नियम 2002 के उपबन्धों आर उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया गया है। | गुनुभूम्यों का पालन किया गया है। |
| 4/- | पद पदस्थापना आदेश द. 1-1-2006। प्रभावशाल रहेगा। | |

मध्यपुरदेश के राज्यपाल के नामांकन
तथा आदेशानुसार

डॉ. डॉ. अग्रवाल
उप सचिव

मध्यपुरदेश शासन, घन विभाग

पृष्ठांकन क्र. सफ 3-34/2004/10-1
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी, 2006

1/ अधिकारी अपाल, गाननीय मंत्रीजी, घन।

४८ श्री राम का विवरण गोपनि ।
 ५० श्री राम का विवरण ।
 ५१ श्री राम का विवरण ।
 ५२ श्री राम का विवरण ।
 ५३ श्री राम का विवरण ।
 ५४ श्री राम का विवरण ।

१०८०. श्री. गुरुवार

कायलिय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुडा भवन, १०प्र०, भोपाल

पृष्ठमाला/प्रशासनिक/राजविषयक/ 167

भोपाल, दिनांक, १५-८-०८

(1) वन संरक्षक, बैतूल/अनुसधान विस्तार केन्द्र खण्डवा शार्य आयोजना, रिपोर्ट (योगो)।

(2) रादरख, नर्मदा घाटी, विकास प्राधिकरण, भोपाल।

(3) प्रवध संचालक, म0प्र0 लघ वनोपज्ज संघ भोगा॒

(3) प्रवाप सचालक, म0प्र0 लघु वगोपज संघ, भोपाल।

(4) वन मण्डलाधिकारी, (उत्पादन) वन मण्डल, बैतूल, म0प्र0 को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कृपया शासनादेश दिनांक 12-1-06 संबंधित अधिकारी को स्वीपकर रथानीय व्यवस्था से भारगुक्त कर इस कार्यालय को सूचित करें।

(नरेन्द्र कुमार)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासनिक)

मोप्र० भीपाल